बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र0–06/विविध–32/2011–2150– खाद्य, पटना/दिनांक– 07.05.18

प्रेषक,

अंजनी कुमार सिंह
मुख्य सचिव, बिहार ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत पूर्व से आच्छादित अन्त्योदय लाभुकों के डाटाबेस का अद्यतीकरण, नये राशन कार्ड का निर्गमन तथा रद्दीकरण एवं जन वितरण प्रणाली दुकानों की अनुज्ञप्ति निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग :– सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना–17408 दिनांक 30.12.2016, 11960 दिनांक 15.09.2017, विभागीय पत्रांक 6632 दिनांक 19.08.2015, पत्रांक–1316 दिनांक 23.02.2016, पत्रांक 3738 दिनांक 21.06.2016 पत्रांक 3995 दिनांक 05.07.2016, पत्रांक 269 दिनांक 24.01.2018, पत्रांक 1161 दिनांक 03.03.2017 एवं पत्रांक 1930 दिनांक 17.04.2018

महाशय,

राज्य में 01 फरवरी, 2014 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया है, जिसके अन्तर्गत पूर्व से आच्छादित अन्त्योदय लाभुकों को भी शामिल करते हुए खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है । पूर्व में विभिन्न विभागीय पत्रों द्वारा समय–समय पर अन्त्योदय परिवारों को नया राशन कार्ड निर्गत करने, बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नये राशन कार्ड का निर्गमन, राशन कार्ड में संशोधन (नाम में संशोधन/नाम जोड़ना/नाम हटाना) एवं राशन कार्ड का प्रत्यर्पण/रद्दीकरण तथा लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जन वितरण प्रणाली दुकानों के लिए नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु निदेश दिया गया था। उपरोक्त कार्यों को एक समय–सीमा के अन्तर्गत करना आवश्यक है । अतः उक्त के आलोक में पुनः निम्नवत् निदेश दिया जाता है :–

1. विभागीय पत्रांक 6632 दिनांक 19.08.2015 के द्वारा अन्त्योदय परिवारों को पूर्व से निर्गत पीले रंग के राशन कार्ड के स्थान पर NFSA -2013 की धारा 13 (1) एवं (2) के अनुरूप अन्त्योदय गृहस्थी की मुखिया के रूप में महिला का नाम नहीं होने के कारण पुराने राशन कार्ड को वापस अथवा रद्द कर उनके लिए नया राशन कार्ड गृहस्थी की वरिष्ठतम महिला के नाम पर उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया था । लेकिन समीक्षा के क्रम में ज्ञात हो रहा है कि अभी भी शत–प्रतिशत अन्त्योदय श्रेणी के परिवारों को नया राशन कार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है । अतः उक्त के आलोक में सभी अन्त्योदय परिवारों के डाटाबेस का सत्यापन एवं अद्यतीकरण करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अन्त्योदय श्रेणी के परिवारों को नया राशन कार्ड उपलब्ध कराने की कार्रवाई अविलंब पूर्ण की जाय ।

2. सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–17408 दिनांक 30.12.2016 एवं 11960 दिनांक 15.09.2017 तथा विभागीय पत्रांक 1930 दिनांक 17.04. 2018 द्वारा बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत पात्र लाभुकों को राशन कार्ड का निर्गमन, राशन कार्ड में संशोधन (नाम में संशोधन/नाम जोड़ना/नाम हटाना) एवं अपात्र लाभुकों के राशन कार्ड का प्रत्यर्पन/रद्दीकरण की कार्रवाई करने हेतु निदेश दिया गया था। परन्तु जिलों में संबंधित पदाधिकारियों द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेश के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं किये जाने के कारण पात्र लाभुकों को ससमय राशन कार्ड निर्गत नहीं जा रहा है तथा अपात्र लाभुकों का राशन कार्ड़ रद्द नहीं किया जा रहा है । कुछेक जिले यथा समस्तीपुर, सहरसा, सीतामढ़ी, कटिहार, बेगूसराय एवं भागलपुर में RTPS के अन्तर्गत संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों द्वारा सौ से भी कम नया राशन कार्ड निर्गत किया गया है एवं कुछेक जिले यथा अरवल, नवादा, रोहतास, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा एवं अररिया में एक भी अपात्र लाभुकों के राशन कार्ड को रद्द नहीं किया गया है, जो अत्यंत चिन्ता का विषय है । अतः RTPS के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए नियमानुसार जांचोपरांत नया राशन कार्ड निर्गत किया जाय एवं अपात्र लाभुकों के राशन कार्ड को अविलंब रद्द करते हुए खाद्यान्न के आवंटन को रोका जाय ।

3. बिहार लक्ष्यित जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 के आलोक में रिक्त के विरूद्ध नयी जन वितरण प्रणाली दुकानों की अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु विभिन्न विभागीय पत्रों द्वारा भी विस्तृत दिशा–निदेश दिया गया है, परन्तु लगभग 11103 रिक्ति के विरूद्ध अभी भी कई जिलों द्वारा अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु रिक्तियों का विज्ञापन भी नहीं की गई है। अतः अविलंब रिक्तियों का विज्ञापन निर्गत करते हुए प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार त्वरित निष्पादन करते हुए नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने की कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन,

मुख्य सचिव, बिहार ।

D:\Year-2017\-SECTION-06-\Vividh Avi.doc

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र06–रा0का0II–02/2013 1161 खाद्य, पटना/दिनांक 3/3/2017

प्रेषक,

पंकज कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत निर्गत अप्रात्र लाभुकों के राशन कार्ड को रद्द करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्र सं0– 1316 दिनांक 23.02.2016 के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पहचान किये गये लाभुकों का सत्यापन कराते हुए सॉफ्टवेयर के माध्यम से डाटा स्क्रीनिंग कराकर अयोग्य/डुप्लीकेट लाभुकों को चिन्हित कर उनका राशन कार्ड रद्द करने का निदेश दिया गया था एवं निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांत के विपरीत निर्गत राशन कार्ड को चिन्हित कर रद्द करते हुए प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था । साथ ही विभागीय पत्र सं0– 3995 दिनांक 05.07.2016 एवं पत्रांक 269 दिनांक 24.01.2017 के द्वारा बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत संशोधित तीन नई सेवाओं यथा

1. नये राशन कार्ड का निर्गमन
2. राशन कार्ड में संशोधन (नाम में संशोधन/नाम जोड़ना/नाम हटाना)
3. राशन कार्ड का प्रत्यर्पन/रद्दीकरण

के अन्तर्गत भी उक्त हेतु विस्तृत दिशा–निदेश दिया गया है ।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में विभागीय पत्र सं0–1316 दिनांक 23.02.2016 के द्वारा अयोग्य/डुप्लीकेट लाभुकों के तैयार डाटाबेस तथा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांत के विपरीत निर्गत राशन कार्डों को जिला स्तर पर अभियान चलाकर चिन्हित करते हुए नियमानुसार उनके राशन कार्ड को रद्द करने की कार्रवाई करने हेतु 05.03.2016 से 21.03.2016 तक समय–सीमा निर्धारित की गई थी । साथ ही मृत/स्थायी रूप से निवास स्थान परिवर्तित लाभुकों का नाम हटाने एवं नये लाभुकों को नाम शामिल करने हेतु विस्तृत निदेश दिया गया है । लेकिन प्रायः यह देखा जा रहा है कि जिले में संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों द्वारा विभागीय निदेश का पालन नहीं कराया गया है, जिसके कारण अभी भी अपात्र लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है एवं नये लाभुक का नाम जोड़ने का आवेदन बड़ी संख्या में प्राप्त हो रहे हैं । पूर्व में संलग्न प्रपत्र में सत्यापन में भी मृत लाभकों की विवरणी प्राप्त है ।

अतः निदेश दिया जाता है कि प्रत्येक लाभुकों के घर–घर जाकर उनकी पात्रता का सत्यापन करते हुए अपात्र लाभुकों के राशन कार्ड को रद्द करने की कार्रवाई की जाय एवं पात्र लाभुकों को नया राशन कार्ड एवं खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने की कार्रवाई यथाशीघ्र की जाय एवं खाद्यान्न का आवंटन भी पात्र लाभुकों के आधार पर ही की जाय ।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक – प्रपत्र ।

3/3/17

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक – प्र06–रा0का0II–02/2013 1161 खाद्य, पटना/दिनांक 3/3/2017

प्रतिलिपि – अपर जिला दंडाधिकारी आपूर्ति, पटना/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

3/3/17

सरकार के सचिव।

D:\Year-2017\-SECTION-06\Vinod Avi.doc

प्रपत्र – III

जिला का नाम –

SECC data verification में पाये गये अपात्र परिवारों का राशन कार्ड रद्द करने की कार्रवाई का प्रतिवेदन

क्र0	प्रखंड का नाम	प्रतिवेदित अपात्र परिवारों की संख्या		कुल	प्रतिवेदित अपात्र परिवारों की संख्या के अन्तर्गत लाभुकों की संख्या		कुल	प्रतिवेदित परिवारों के आधार पर अपात्र परिवार को निर्गत नोटिस की संख्या		कुल	निर्गत नोटिस के आधार पर अपात्र परिवार/लाभुकों का रद्द आदेश की संख्या		कुल
		PHH	AYY		PHH	AYY	-	PHH	AYY		PHH	AYY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

जिला आपूर्ति पदाधिकारी

E-Mail

(166

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक–प्र06–विविध–32 / 2011 3995 खाद्य–पटना / दिनांक– 05/07/16

प्रेषक,

प्रकाश कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :– लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत नया राशन कार्ड निर्गत करने, राशन कार्ड में संशोधन / प्रत्यर्पण एवं रद्द किये जाने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि 'लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015' के कंडिका – 3 का उप कंडिका – 13, 14 तथा कंडिका– 4 का उप कंडिका– 7, 8, 9 में दिये गये प्रावधान के आलोक में 'बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016' के कंडिका– 21 (i) में अनुमंडल पदाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन पात्र गृहस्थियों की सूची तैयार करेंगे तथा राज्य सरकार द्वारा विहित प्रपत्र में राशन कार्ड निर्गत करने या राशन कार्ड में उपांतरण करने के लिए आवेदन प्राप्त करने, रजिस्ट्रीकरण करने, अभिस्वीकृति देने एवं प्रसंस्करण करने के लिए प्राधिकृत करते हुए कंडिका– 21 (ii) में निदेश दिया गया है कि अनुमंडल पदाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत पात्र आवेदकों को आवश्यक जांच ओर सत्यापन के पश्चात् आवेदन की प्राप्ति की तारीख से एक मास से अनधिक युक्तियुक्त समय के भीतर राशन कार्ड जारी करने हेतु निदेश दिया है । साथ ही कंडिका– 21 (iii) में यह भी निदेश दिया गया है कि अनुमंडल पदाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत विद्यमान राशन कार्ड के स्थान पर नया राशन कार्ड केवल तभी जारी करेंगे जब विद्यमान राशन कार्ड खो जाए या नष्ट या विरूपित होने के कारण उपयोग के योग्य न रह जाय या पूर्णतया समाप्त हो जाय या जब राशन कार्ड में उपांतरणों के लिए अनुरोध किया जाय। लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत नया राशन कार्ड निर्गत करने, राशन कार्ड में संशोधन / प्रत्यर्पण एवं रद्द करने के संबंध में निम्नलिखित निदेश दिये जाते है :–

1. RTPS के माध्यम से नये राशन कार्ड का निर्गमन, राशन कार्ड में संशोधन (नाम में संशोधन, नाम जोड़ना, नाम हटना) एवं राशन कार्ड का प्रत्यर्पण (Surrender) / रद्द किया जाने के लिए ऑफ लाईन मोड में आवेदन पत्र का प्रपत्र 'क' अथवा 'ख' में चेक लिस्ट में दिये गये कागजात के साथ RTPS काउंटर पर जमा किया जाएगा ।
2. आवेदन पत्र केवल एक ही प्रति आवेदक द्वारा भरी जायेगी ।
3. किसी व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक पार्टी द्वारा तादाद में प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाऐंगे ।
4. अपूर्ण आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जायेगा ।
5. आवेदक द्वारा बिना सही हस्ताक्षर किये हुए या बिना अंगूठे के निशान के आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जायेगा ।

6. हस्तलिखित, टाईप किये गये, फोटो कॉपी किये गये या एन.आई.सी. की बेबसाईट से डाउनलोड किये गये प्रपत्र भी स्वीकार किये जायेंगे, बशर्ते कि इस प्रकार के प्रपत्र निर्धारित उपरोक्त प्रपत्र के समरूप होने चाहिए ।
7. सभी आवेदन पत्र RTPS के माध्यम से लिया जायेगा ।
8. RTPS के तहत पात्र गृहस्थी द्वारा राशन कार्ड का आवेदन पत्र संबंधित क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जायेगा ।
9. अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा RTPS के तहत राशन कार्ड हेतु प्राप्त आवेदन पत्र को एक सप्ताह के अन्दर संबंधित क्षेत्र के प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजा जायेगा । प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र को जांच कराकर 15 दिनों के अन्दर अनुमंडल पदाधिकारी को वापस किया जायेगा ।
10. अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आवेदन पत्र को स्वीकृत किया जाता है तो राशन कार्ड निर्गत किया जायेगा ।

उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक 3738 दिनांक 21.06.2016 के आलोक में निर्धारित समय–सीमा के अन्दर SECC डाटा आधारित निर्गत राशन कार्डधारियों का सत्यापन एवं प्रपत्र संग्रहण का कार्य चल रहा है। डाटा सत्यापन का कार्य समाप्त होने तथा e-PDS Portal पर डाटा के अपलोड होने के बाद नया राशन कार्ड निर्गत किये जाने की कार्रवाई की जाएगी । लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत नया राशन कार्ड निर्गत करने, राशन कार्ड में संशोधन करने एवं रद्द करने हेतु RTPS के माध्यम से आवश्यक प्रपत्र, चेक लिस्ट आदि को ऑफ लाईन मोड में लेने की कार्रवाई करने हेतु बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन से अनुरोध किया जा रहा है । बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन से जबतक RTPS के माध्यम से ऑफ लाईन मोड में आवेदन पत्र लेने हेतु कार्रवाई पूर्ण नहीं कर ली जाती है तथा e-PDS Portal पर डाटा का होस्टिंग नहीं हो जाता है जबतक नया राशन कार्ड निर्गत नहीं किया जाय ।

अनु0– यथोक्त।

विश्वासभाजन

सरकार के संयुक्त सचिव ।

लोक सेवा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नया राशन कार्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र 'क'

(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (धारा–9) तथा लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 (कंडिका 3 का उपकंडिका 13, 14 तथा कंडिका 4 उपकंडिका 7, 8, 9) द्रष्टव्य)

पारिवारिक फोटो

1. आवेदक का नाम
2. आधार / EID no
3. मोबाईल नं0–
4. आवेदक के पति / पिता का नाम
5. पूर्ण आवासीय पता

6. बैंक का IFSC Code
7. बैंक खाता नं0
8. बैंक का नाम
9. राशन कार्ड के लिए परिवार के अन्य सदस्यों का विवरण

क्र0	नाम	पति / पिता का नाम	लिंग	उम्र	वैवाहिक स्थिति	संबंध
1	2	3	4	5	6	7

आधार / EID no	मोबाईल नं0	व्यवसाय / सरकारी सेवक	आमदनी का स्रोत	मासिक आय
8	9	10	11	12

10. <u>ग्रामीण क्षेत्र</u> के आवेदक निम्नलिखित पर हॉ / नहीं, पर टिक लगावे :–

(i) मोटर चालित तिपाहिया / चार पहिया वाहन है, हॉ ☐ नहीं ☐

(ii) मशीन चालित तीन / चार पहियों वाले कृषि उपकरण है, हॉ ☐ नहीं ☐

(iii) सरकार में पंजीकृत गैर–कृषि उद्योग वाले परिवार वाली गृहस्थी है, हॉ ☐ नहीं ☐

(iv) परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय 10,000 / – रू0 से अधिक है, हॉ ☐ नहीं ☐

(v) आयकर देते है, हॉ ☐ नहीं ☐

(vi) व्यावसायिक कर का भुगतान करते है, हॉ ☐ नहीं ☐

(vii) जिस मकान में रहते है, उस मकान में सभी कमरों में पक्की दीवारों और छत के साथ तीन अथवा अधिक कमरा है, हॉ ☐ नहीं ☐

(viii) परिवार में कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि है, हॉ ☐ नहीं ☐

(ix) दो अथवा उससे अधिक फसली मौसम के लिए 5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि वाली गृहस्थी है, हॉ ☐ नहीं ☐

(x) कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ कम से कम 7.5 एकड़ अथवा इससे अधिक भूमि वाली गृहस्थी है, हॉ ☐ नहीं ☐

(xi) आवेदक अथवा आवेदक के परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में है, हॉ ☐ नहीं ☐
अगर है तो उसका विवरण –
(क) किस सेवा में है –
(ख) कहॉ पदस्थापित है –
(ग) कितना मासिक आमदनी है –

11. <u>शहरी क्षेत्र</u> के आवेदक निम्नलिखित पर आवश्यकतानुसार हॉ/नहीं, पर टिक लगावे :–

(i) आयकर अदा करते है, हॉ ☐ नहीं ☐

(ii) आवेदक अथवा आवेदक के परिवार का कोई सदस्य वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 एवं वर्ग 4 श्रेणी के सरकारी सेवा (अनु0जाति/अनु0 जनजाति के Group 'D' के कर्मी को छोड़कर) में है, हॉ ☐ नहीं ☐
अगर है तो उसका विवरण –
(क) किस सेवा में है –
(ख) कहॉ पदस्थापित है –
(ग) कितना मासिक आमदनी है –

(iii) व्यवसायिक कर अदा करते है, हॉ ☐ नहीं ☐

(iv) तीन कमरे या उससे अधिक (पक्का) कंक्रीट छतयुक्त मकान वाली गृहस्थी जो स्वयं की स्वामित्व में है, हॉ ☐ नहीं ☐

(v) परिवार के किसी सदस्य का मासिक आय 20,000/– रू0 से अधिक है, हॉ ☐ नहीं ☐

(vi) दो पहिया वाहन, रेफ्रीजरेटर तथा वाशिंग मशीन तीनों उपकरण है, हॉ ☐ नहीं ☐

(vii) गृहस्थी में चार पहिया वाहन है, हॉ ☐ नहीं ☐

(viii) गृहस्थी में वाशिंग मशीन है, हॉ ☐ नहीं ☐

दिनांक — आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
स्थान — नाम

घोषणा

महोदया/महोदय

मैं परिवार सहित यह घोषणा करता हूँ की आवेदन पत्र में लिखी गई सभी प्रविष्टियॉ सही है । मै इसके पूर्व राशन कार्ड के लिए कोई आवेदन पत्र नहीं दिया हूँ । अगर आवेदन पत्र में लिखी गई कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो मैं दंडात्मक/कानूनी कार्रवाई का भागी होऊँगा ।

दिनांक — आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
स्थान — नाम

पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी के अन्तर्गत :–
आवेदन पत्र – स्वीकृत ☐ अस्वीकृत ☐
अस्वीकृत का कारण –

जांच करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर — प्रखंड विकास पदाधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

सामान्य निर्देश

1. आवेदन पत्र केवल एक ही प्रति आवेदक द्वारा भरी जायेगी ।
2. किसी व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक पार्टी द्वारा तादाद में प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे ।
3. अपूर्ण आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जायेगा ।
4. आवेदक द्वारा बिना सही हस्ताक्षर किये हुए या बिना अंगूठे के निशान के आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जायेगा ।
5. हस्तलिखित, टाईप किये गये, फोटो कॉपी किये गये या एन.आई.सी. की बेबसाईट से डाउनलोड किये गये प्रपत्र भी स्वीकार किये जायेंगे, बशर्ते कि इस प्रकार के प्रपत्र निर्धारित उपरोक्त प्रपत्र के समरूप होने चाहिए ।
6. सभी आवेदन पत्र RTPS के माध्यम से लिया जायेगा ।
7. सरकारी सेवा से तात्पर्य है केन्द्र एवं राज्य सरकार, लोक उपक्रम, स्थानीय निकाय एवं स्वशासी में नियमित वेतनमान में कार्यरत कर्मी की सेवा ।
8. RTPS के तहत पात्र गृहस्थी द्वारा राशन कार्ड का आवेदन पत्र संबंधित क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जायेगा ।
9. अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा RTPS के तहत राशन कार्ड हेतु प्राप्त आवेदन पत्र को एक सप्ताह के अन्दर संबंधित क्षेत्र के प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजा जायेगा । प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र को जांच कराकर 15 दिनों के अन्दर अनुमंडल पदाधिकारी को वापस किया जायेगा ।
10. अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आवेदन पत्र को स्वीकृत किया जाता है तो राशन कार्ड निर्गत किया जायेगा ।

लोक सेवा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत विद्यमान राशन कार्ड में उपांतरणो अथवा विद्यमान राशन कार्ड को प्रत्यर्पण (Surrender)/रद्द करने के लिए

आवेदन पत्र का प्रपत्र 'ख'

(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (धारा–9) तथा लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 (कंडिका 3 का उपकंडिका 13, 14 तथा कंडिका 4 उपकंडिका 7, 8, 9) द्रष्टव्य)

पारिवारिक फोटो

1. आवेदक का नाम
2. आधार/ EID no
3. मोबाईल नं0–
4. आवेदक के पति/पिता का नाम
5. पूर्ण आवासीय पता

6. विद्यमान राशन कार्ड की सं0–
7. सम्बद्ध जन वितरण प्रणाली विक्रेता का नाम एवं अनुज्ञप्ति सं0–
8. विद्यमान राशन कार्ड में उपांतरण का कारण–
   (क) निवास में परिवर्तन –
   (ख) जन्म या मृत्यु –
   (ग) कार्ड में वर्णित ब्योरो में अशुद्धियाँ –
   (घ) अन्य कारण –
9. विद्यमान राशन कार्ड में उपांतरण हेतु विवरणी –

क्र0	नाम	पति/पिता का नाम	लिंग	उम्र	वैवाहिक स्थिति	संबंध
1	2	3	4	5	6	7

आधार/ EID no	मोबाईल नं0	व्यवसाय /सरकारी सेवक	आमदनी का स्रोत	मासिक आय
8	9	10	11	12

10. विद्यमान राशन कार्ड को प्रत्यर्पण/रद्द करने का कारण –

(क) ग्रामीण क्षेत्र में प्रवास, जन्म, विवाह, सामाजिक और आर्थिक प्रास्थिति में परिवर्तन के कारण आवेदक निम्नलिखित पर हॉ/नहीं, पर टिक लगावे :–

(i) मोटर चालित तिपाहिया/चार पहिया वाहन है, हॉ ☐ नहीं ☐
(ii) मशीन चालित तीन/चार पहियों वाले कृषि उपकरण है, हॉ ☐ नहीं ☐
(iii) सरकार में पंजीकृत गैर–कृषि उद्योग वाले परिवार वाली गृहस्थी है, हॉ ☐ नहीं ☐
(iv) परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय 10,000/– रू0 से अधिक है, हॉ ☐ नहीं ☐
(v) आयकर देते है, हॉ ☐ नहीं ☐
(vi) व्यावसायिक कर का भुगतान करते है, हॉ ☐ नहीं ☐

(vii) जिस मकान में रहते है, उस मकान में सभी कमरों में पक्की दीवारों और छत के साथ तीन अथवा अधिक कमरा है, हॉ ☐ नहीं ☐

(viii) परिवार में कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि है, हॉ ☐ नहीं ☐

(ix) दो अथवा उससे अधिक फसली मौसम के लिए 5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि वाली गृहस्थी है, हॉ ☐ नहीं ☐

(x) कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ कम से कम 7.5 एकड़ अथवा इससे अधिक भूमि वाली गृहस्थी है, हॉ ☐ नहीं ☐

(xi) आवेदक अथवा आवेदक के परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में है, हॉ ☐ नहीं ☐
अगर है तो उसका विवरण –
(क) किस सेवा में है –
(ख) कहॉ पदस्थापित है –
(ग) कितना मासिक आमदनी है –

(ख) <u>**शहरी क्षेत्र**</u> में प्रवास, जन्म, विवाह, सामाजिक और आर्थिक प्रास्थिति में परिवर्तन के कारण आवेदक निम्नलिखित पर हॉ/नहीं, पर टिक लगावे :–

(i) आयकर अदा करते है, हॉ ☐ नहीं ☐

(ii) आवेदक अथवा आवेदक के परिवार का कोई सदस्य वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 एवं वर्ग 4 श्रेणी के सरकारी सेवा (अनु0जाति/अनु0 जनजाति के Group 'D' के कर्मी को छोड़कर) में है, हॉ ☐ नहीं ☐
अगर है तो उसका विवरण –
(क) किस सेवा में है –
(ख) कहॉ पदस्थापित है –
(ग) कितना मासिक आमदनी है –

(iii) व्यवसायिक कर अदा करते है, हॉ ☐ नहीं ☐

(iv) तीन कमरे या उससे अधिक (पक्का) कंक्रीट छतयुक्त मकान वाली गृहस्थी जो स्वयं की स्वामित्व में है, हॉ ☐ नहीं ☐

(v) परिवार के किसी सदस्य का मासिक आय 20,000/– रू0 से अधिक है, हॉ ☐ नहीं ☐

(vi) दो पहिया वाहन, रेफ्रीजरेटर तथा वाशिंग मशीन तीनों उपकरण है, हॉ ☐ नहीं ☐

(vii) गृहस्थी में चार पहिया वाहन है, हॉ ☐ नहीं ☐

(viii) गृहस्थी में वाशिंग मशीन है, हॉ ☐ नहीं ☐

उपरोक्त कंडिका .... के अनुसार विधमान राशन कार्ड में आवश्यक उपांतरण किया जाय/कंडिका .... के अनुसार पात्र गृहस्थियों हेतु मानक मानदंड से बाहर हो जाने के कारण विद्यमान राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाय (राशन कार्ड संलग्न)

दिनांक — आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
स्थान — नाम

<u>घोषणा</u>

महोदया/महोदय

मैं परिवार सहित यह घोषणा करता हूँ की आवेदन पत्र में लिखी गई सभी प्रविष्टियॉ सही है । अगर आवेदन पत्र में लिखी गई कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो मैं दंडात्मक/कानूनी कार्रवाई का भागी होऊँगा ।

दिनांक — आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
स्थान — नाम

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
।। अधिसूचना ।।

पटना, दिनांक– 30.12.16

संख्या–18/लो०से०अ०–12–01/2016(खण्ड) 17408 /बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम, 4, 2011) की धारा–3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–19431 दिनांक–23.12.2013 में तुरत के प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है:–

1. उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट–1 का कमांक–7 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

"परिशिष्ट–।

क0 सं0	विभाग का नाम/सेवा का नाम	नामनिर्दिष्ट लोक सेवक	सेवा हेतु समय सीमा	अपीलीय प्राधिकार	प्रथम अपील के निष्पादन हेतु सीमा	पुनर्विलोकन प्राधिकार	द्वितीय अपील के निष्पादन हेतु समय सीमा
1	2	3	4	5	6	7	8
7	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। /(i) नये राशन कार्ड का निर्गमन	अनुमंडल पदाधिकारी	30 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	21 कार्य दिवस	प्रमण्डलीय आयुक्त	15 कार्य दिवस
	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। /(ii) राशन कार्ड में संशोधन (नाम में संशोधन/ नाम जोड़ना/नाम हटाना)	अनुमंडल पदाधिकारी	30 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	21 कार्य दिवस	प्रमण्डलीय आयुक्त	15 कार्य दिवस
	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। /(iii)राशन कार्ड का प्रत्यर्पण/रद्दीकरण ।	अनुमंडल पदाधिकारी	30 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	21 कार्य दिवस	प्रमण्डलीय आयुक्त	15 कार्य दिवस

"

2. उपर्युक्त अधिसूचना के परिशिष्ट–। के बाद निम्नलिखित परिशिष्ट–॥ जोड़ा जाएगाः–

"परिशिष्ट–॥

सेवा प्राप्त करने हेतु आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले आवश्यक कागजात (चेक लिस्ट)

सेवा का नाम	चेक लिस्ट
1. नये राशन कार्ड का निर्गमन	1. आवेदन पत्र विभागीय प्रपत्र 'क' में । 2. आधार कार्ड का छायाप्रति । 3. बैंक खाता के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति, जिसपर खाताधारी का नाम, खाता संख्या, बैंक का नाम, बैंक का IFSC Code रहता है । 4. आवासीय प्रमाण–पत्र 5. विभागीय आवेदन पत्र प्रपत्र 'क' के क्रमांक 10 अथवा 11 जो लागू हो, के संबंध में शपथ–पत्र। 6. सम्पूर्ण परिवार का तीन फोटोग्राफ ।
2. राशन कार्ड में संशोधन (नाम में संशोधन, नाम जोड़ना, नाम हटना)	1. आवेदन पत्र विभागीय प्रपत्र 'ख' में । 2. व्यक्ति, जिसका नाम जोड़ा जाना है, के आधार कार्ड की छाया प्रति। 3. विभागीय आवेदन प्रपत्र 'ख' के क्रमांक 8 एवं 9 के संबंध में लागू कारण के प्रमाण–पत्र की छायाप्रति, यथा :– i. निवास में परिवर्तन हेतु आवासीय प्रमाण–पत्र ii. जन्म/मृत्यु का प्रमाण पत्र iii. राशन कार्ड में वर्णित अशुद्धियाँ जिनको शुद्ध किया जाना है, के लिए सरकारी प्रमाण–पत्र (सरकारी विद्यालय का प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, वोटर आई0कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पैन कार्ड आदि)।
3. राशन कार्ड का प्रत्यर्पण (Surrender)/रद्दीकरण	1. आवेदन पत्र विभागीय प्रपत्र 'ख' में । 2. विद्यमान राशन कार्ड का प्रत्यर्पण/रद्द करने के लिए आवेदन पत्र के क्रमांक 10 के संबंध में लागू कारण की छायाप्रति ।

(158)

सामान्य निर्देश

1. आवेदन–पत्र केवल एक ही प्रति आवेदक द्वारा भरी जायेगी ।
2. किसी व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक पार्टी द्वारा तादाद में प्रस्तुत किये गये आवेदन–पत्रों को स्वीकार नहीं किये जाऐंगे ।
3. अपूर्ण आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जायेगा ।
4. अहस्ताक्षरित या बिना अंगूठे के निशान के आवेदन–पत्र को रद्द कर दिया जायेगा ।
5. हस्तलिखित, टाईप किये गये, फोटो कॉपी किये गये या एन.आई.सी. की बेबसाईट से डाउनलोड किये गये प्रपत्र भी स्वीकार किये जायेंगे, बशर्ते कि इस प्रकार के प्रपत्र निर्धारित प्रपत्र के समरूप होने चाहिए ।
6. सभी आवेदन पत्र RTPS के माध्यम से लिये जायेगें ।
7. सरकारी सेवा से तात्पर्य है केन्द्र एवं राज्य सरकार, लोक उपक्रम, स्थानीय निकाय एवं स्वशासी में नियमित वेतनमान में कार्यरत कर्मी की सेवा ।
8. RTPS के तहत पात्र गृहस्थी द्वारा राशन कार्ड का आवेदन–पत्र संबंधित क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जायेगा ।
9. अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा RTPS के तहत राशन कार्ड हेतु प्राप्त आवेदन–पत्र को एक सप्ताह के अन्दर संबंधित क्षेत्र के प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजा जायेगा । प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र को जांच कराकर 15 दिनों के अन्दर अनुमंडल पदाधिकारी को वापस किया जायेगा ।
10. अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आवेदन–पत्र को स्वीकृत किया जाता है तो राशन कार्ड निर्गत किया जायेगा ।

प्रपत्र 'क'

लोक सेवा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नया राशन कार्ड के लिए आवेदन पत्र

(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (धारा–9) तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015
(कंडिका 3 का उपकंडिका 13, 14 तथा कंडिका 4 उपकंडिका 7, 8, 9 द्रष्टव्य)

पारिवारिक फोटो

1. आवेदक का नाम
2. आधार / EID no
3. मोबाईल नं0–
4. आवेदक के पति / पिता का नाम
5. पूर्ण आवासीय पता
6. बैंक का IFSC Code
7. बैंक खाता नं0
8. बैंक तथा शाखा का नाम
9. राशन कार्ड के लिए परिवार के अन्य सदस्यों का विवरण

क्र0	नाम	पति / पिता का नाम	लिंग	उम्र	वैवाहिक स्थिति	संबंध
1	2	3	4	5	6	7

186

आधार / EID no	मोबाईल नं0	व्यवसाय / सेवा	आमदनी का स्रोत	मासिक आय
8	9	10	11	12

10. **ग्रामीण क्षेत्र** के आवेदक निम्नलिखित पर हॉ/नहीं, पर टिक लगावे :–
(i) मोटर चालित तिपाहिया/चार पहिया वाहन है, हॉ ☐ नहीं ☐
(ii) मशीन चालित तीन/चार पहियों वाले कृषि उपकरण है, हॉ ☐ नहीं ☐
(iii) सरकार में पंजीकृत गैर–कृषि उद्योग वाले परिवार वाली गृहस्थी है, हॉ ☐ नहीं ☐
(iv) परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय 10,000/– रू0 से अधिक है, हॉ ☐ नहीं ☐
(v) आयकर देते है, हॉ ☐ नहीं ☐
(vi) व्यावसायिक कर का भुगतान करते है, हॉ ☐ नहीं ☐
(vii) जिस मकान में रहते है, उस मकान में सभी कमरों में पक्की दीवारों और छत के साथ तीन अथवा अधिक कमरा है, हॉ न☐ ☐
(viii) परिवार में कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि है, हॉ नहीं ☐ ☐
(ix) दो अथवा उससे अधिक फसली मौसम के लिए 5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि वाली गृहस्थी है, हॉ नहीं ☐ ☐
(x) कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ कम से कम 7.5 एकड़ अथवा इससे अधिक भूमि वाली गृहस्थी है, हॉ नहीं☐ ☐
(xi) आवेदक अथवा आवेदक के परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में है, हॉ ☐ नहीं ☐
अगर है तो उसका विवरण –
(क) किस सेवा में है –
(ख) कहॉ पदस्थापित है –
(ग) कितना मासिक आमदनी है –

11. **शहरी क्षेत्र** के आवेदक निम्नलिखित पर आवश्यकतानुसार हॉ/नहीं, पर टिक लगावे :–
(i) आयकर अदा करते है, हॉ ☐ नहीं ☐
(ii) आवेदक अथवा आवेदक के परिवार का कोई सदस्य वर्ग क, वर्ग ख, वर्ग ग एवं वर्ग घ श्रेणी के सरकारी सेवा (अनु0जाति/अनु0 जनजाति के समूह 'घ' के कर्मी को छोड़कर) में है, हॉ नहीं ☐
अगर ☐ो उसका विवरण –
(क) किस सेवा में है –
(ख) कहॉ पदस्थापित है –
(ग) कितना मासिक आमदनी है –
(iii) व्यवसायिक कर अदा करते है, हॉ ☐ नहीं ☐

(iv) तीन कमरे या उससे अधिक (पक्का) कंक्रीट छतयुक्त मकान वाली गृहस्थी जो स्वयं की स्वामित्व में है, हॉ नहीं ☐ ☐

(v) परिवार के किसी सदस्य का मासिक आय 20,000/– रू0 से अधिक है, हॉ ☐ नहीं ☐

(vi) दो पहिया वाहन, रेफ्रीजरेटर तथा वाशिंग मशीन तीनों उपकरण है, हॉ ☐ नहीं ☐

(vii) गृहस्थी में चार पहिया वाहन है, हॉ ☐ नहीं ☐

(viii) गृहस्थी में वाशिंग मशीन है, हॉ ☐ नहीं ☐

दिनांक	आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
स्थान	नाम

घोषणा

महोदया/महोदय

मैं परिवार सहित यह घोषणा करता हूँ कि आवेदन पत्र में लिखी गई सभी प्रविष्टियॉ सही हैं। मैंने इसके पूर्व राशन कार्ड के लिए कोई आवेदन पत्र नहीं दिया है। अगर आवेदन–पत्र में लिखित कोई तथ्य गलत पाया जाता है, तो मैं दंडात्मक/कानूनी कार्रवाई का भागी होऊँगा ।

दिनांक	आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
स्थान	नाम

पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी के अन्तर्गत :–
आवेदन पत्र – स्वीकृत ☐ अस्वीकृत ☐
अस्वीकृत का कारण –

प्रपत्र 'ख'

लोक सेवा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत विद्यमान राशन कार्ड में उपांतरणो अथवा विद्यमान राशन कार्ड को प्रत्यर्पण (Surrender)/रद्द करने के लिए

(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (धारा-9) तथा लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 (कंडिका 3 का उपकंडिका 13, 14 तथा कंडिका 4 उपकंडिका 7, 8, 9) द्रष्टव्य)

पारिवारिक फोटो

1. आवेदक का नाम
2. आधार/ EID no
3. मोबाईल नं0–
4. आवेदक के पति/पिता का नाम
5. पूर्ण आवासीय पता
6. विद्यमान राशन कार्ड की सं0–
7. सम्बद्ध जन वितरण प्रणाली विक्रेता का नाम एवं अनुज्ञप्ति सं0–
8. विद्यमान राशन कार्ड में उपांतरण का कारण–

   (क) निवास में परिवर्तन –

   (ख) जन्म या मृत्यु –

   (ग) कार्ड में वर्णित ब्योरो में अशुद्धियॉ –

   (घ) अन्य कारण –

9. विद्यमान राशन कार्ड में उपांतरण हेतु विवरणी –

क्र0	नाम	पति/पिता का नाम	लिंग	उम्र	वैवाहिक स्थिति	संबंध
1	2	3	4	5	6	7

आधार / EID no	मोबाईल नं0	व्यवसाय / सरकारी सेवक	आमदनी का स्रोत	मासिक आय
8	9	10	11	12

10. विद्यमान राशन कार्ड को प्रत्यर्पण / रद्द करने का कारण –

(क) <u>ग्रामीण क्षेत्र</u> में प्रवास, जन्म, विवाह, सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति में परिवर्तन के कारण आवेदक निम्नलिखित पर हॉ / नहीं, पर टिक लगावे :–

(i) मोटर चालित तिपाहिया / चार पहिया वाहन है, हॉ ☐ नहीं ☐

(ii) मशीन चालित तीन / चार पहियों वाले कृषि उपकरण है, हॉ ☐ नहीं ☐

(iii) सरकार में पंजीकृत गैर–कृषि उद्योग वाले परिवार वाली गृहस्थी है, हॉ ☐ नहीं ☐

(iv) परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय 10,000 / – रू0 से अधिक है, हॉ ☐ नहीं ☐

(v) आयकर देते है, हॉ ☐ नहीं ☐

(vi) व्यावसायिक कर का भुगतान करते है, हॉ ☐ नहीं ☐

(vii) जिस मकान में रहते है, उस मकान में सभी कमरों में पक्की दीवारों और छत के साथ तीन अथवा अधिक कमरा है, हॉ नहीं ☐ ☐

(viii) परिवार में कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि है, हॉ नहीं ☐ ☐

(ix) दो अथवा उससे अधिक फसली मौसम के लिए 5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि वाली गृहस्थी है, हॉ नहीं ☐ ☐

(x) कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ कम से कम 7.5 एकड़ अथवा इससे अधिक भूमि वाली गृहस्थी है, हॉ नहीं ☐ ☐

(xi) आवेदक अथवा आवेदक के परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में है, हॉ ☐ नहीं ☐

अगर है तो उसका विवरण –

(क) किस सेवा में है –

(ख) कहॉ पदस्थापित है –

(ग) कितना मासिक आमदनी है –

(ख) <u>शहरी क्षेत्र</u> में प्रवास, जन्म, विवाह, सामाजिक और आर्थिक प्रास्थिति में परिवर्तन के कारण आवेदक निम्नलिखित पर हॉ / नहीं, पर टिक लगावे :–

(i) आयकर अदा करते है, हॉ ☐ नहीं ☐

(ii) आवेदक अथवा आवेदक के परिवार का कोई सदस्य वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 एवं वर्ग 4 श्रेणी के सरकारी सेवा (अनु0जाति / अनु0 जनजाति के Group 'D' के कर्मी को छोड़कर) में है, हॉ नहीं ☐

अगर ☐ उसका विवरण –

(क) किस सेवा में है –

(ख) कहॉ पदस्थापित है –

(182)

(ग) कितनी मासिक आमदनी है –

(iii) व्यवसायिक कर अदा करते है, हॉ ☐ नहीं ☐

(iv) तीन कमरे या उससे अधिक (पक्का) कंक्रीट छतयुक्त मकान वाली गृहस्थी जो स्वयं की स्वामित्व में है, हॉ नहीं ☐ ☐

(v) परिवार के किसी सदस्य का मासिक आय 20,000/– रू0 से अधिक है, हॉ ☐ नहीं ☐

(vi) दो पहिया वाहन, रेफ्रीजरेटर तथा वाशिंग मशीन तीनों उपकरण है, हॉ ☐ नहीं ☐

(vii) गृहस्थी में चार पहिया वाहन है, हॉ ☐ नहीं ☐

(viii) गृहस्थी में वाशिंग मशीन है, हॉ ☐ नहीं ☐

उपरोक्त कंडिका .... के अनुसार विद्यमान राशन कार्ड में आवश्यक उपांतरण किया जाय/कंडिका .... के अनुसार पात्र गृहस्थियों हेतु मानक मानदंड से बाहर हो जाने के कारण विद्यमान राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाय (राशन कार्ड संलग्न)

दिनांक　　　　　　　　　　　　　　आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

स्थान　　　　　　　　　　　　　　　　नाम

घोषणा

महोदया/महोदय

मैं परिवार सहित यह घोषणा करता हूॅ की आवेदन–पत्र में लिखी गई सभी प्रविष्टियॉ सही है । अगर आवेदन पत्र में लिखित कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो मैं दंडात्मक/कानूनी कार्रवाई का भागी होऊॅगा ।

दिनांक　　　　　　　　　　　　　　आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान "

स्थान　　　　　　　　　　　　　　　　नाम

3 अधिसूचना संख्या–19431 दिनांक–23.12.2013 की शेष प्रविष्टियाँ पूर्वत रहेंगी।

4 समय–समय पर सेवा प्राप्त करने हेतु खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, आवश्यकतानुसार इससे संबंधित अन्य प्रपत्र विधि विभाग के परामर्श के पश्चात जारी कर सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(दयानिधान पाण्डेय)

सरकार के अपर सचिव

अधिसूचना

संख्या–18/लो0से0अ0–12–01/2016(खण्ड)सा0प्र0 17409 / अधिसूचना संख्या–17408 / दिनांक–30-12-16 /का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत–संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(दयानिधान पाण्डेय)

सरकार के अपर सचिव

(181)

Government of Bihar
General Administration Department
(Notification)

No-18/Lo.Se.A.-12-01/2016(Part)-17408-/ In exercise of the power conferred by the Section-3 of Bihar Right to Public Services Act ,2011 (Bihar Act,4,2011) the State Government makes following amendments in Notification No-19431 dated 23.12.2013 of General Administration Department, Bihar, Patna with immediate effect :-

1. Serial No-7 of Appendix -1 of the above notification would be substituted as follows :-

"Appendix-1

S. No.	Name of the Department/Service	Namely Specified Public Servant	Stipulated Time for Service	Appellate Authority	Stipulated Time for Disposal of First Appeal	Reviewing Authority	Stipulated Time for Disposal of Second Appeal
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Food and Consumer Department. (i) Issuance of New Ration Card	Sub-Divisional Officer	30 working days	District Magistrate	21 working days	Divisional Commissioner	15 working days
	Food and Consumer Department. (ii) Rectification of Ration Card (Rectification in name /addition or deletion of name)	Sub-Divisional Officer	30 working days	District Magistrate	21 working days	Divisional Commissioner	15 working days
	Food and Consumer Department. (iii) Surrender/ Cancelation of Ration Card	Sub-Divisional Officer	30 working days	District Magistrate	21 working days	Divisional Commissioner	15 working days

"

2. Appendix –II will be added after Appendix-I of the concerned notification:-

"Appendix-II

Documents to be submitted for the specified Service (Check List)

Name of Service	Check List
1. Issuance of New Ration Card	1. Application in Department's Pro-forma 'k' 2. Photo Copy of Adhar Card 3. Photo Copy of the First Page of Bank Account which reflects Name, Account Number , Name of Account Holder , IFSC Code of Bank 4. Residential Certificate 5. Affidavit regarding Serial No. 10 or 11 (whichever is applicable) of Department's Pro-forma 'K' 6. Three Group Photographs of the whole family
2. Rectification in Ration Card (Rectification in Name, Addition / deletion of Name)	1. Application in Department's Pro-forma 'kh' 2. Photo Copy of Adhar Card of Person whose Name is applied for addition 3. Photo Copies of Certificates of valid ground regarding Serial No. 8 & 9 of Department's Pro-forma 'kh' e.g. i. Certificate required for residential change ii. Birth or death Certificate iii. Government Certificate –Certificate given by Government School, Adhar Card, Voter ID, Driving License, PAN Card etc. in respect of the errors required to be corrected
3. Surrender/Cancelation of Ration Card	1. Application in Department's Pro-forma 'kh' 2. Photo copy of valid reason for Surrender /Cancelation of Ration Card required in respect of the Serial No. 10 of Application Form

General Instructions

1. Only one copy of duly filled application should be submitted.
2. Numerous applications submitted by any Person, Organisation or Political Party will not be accepted.
3. Incomplete application will be rejected.
4. Unsigned or application without thumb impression will be rejected.
5. Hand written, typed copy, photo copy or pro-forma downloaded from NIC website will also be accepted, subject to its uniformity with the prescribed pro-forma.
6. All applications will be accepted through RTPS.
7. Government Service means service of personnel serving under Central / State Government in regular pay scale or in Public Enterprises, Local Bodies and Autonomous Organisations / Bodies.
8. Application of Ration Card under RTPS of eligible house-hold will be submitted at the Sub-divisional office of the concerned region.
9. Received applications will be forwarded by the Sub-Divisional Officer to the concerned Block Development Officer through RTPS within one week. After making essential verification Block Development Officer will revert applications to the concerned Sub-divisional Officer within 15 days.
10. Ration Card will be issued after approval of the concerned Sub-Divisional Officer.

Application Pro-forma- 'k'

(Pro-forma for new Ration Card under Bihar Right to Public Services Act)

{See Section 9 of National Food Security Act, 2013 and Sub Para -13, 14 of Para-3 and Sub Para-7, 8, 9 of Para-4 of Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2015}

Family Photo

1. Name of Applicant
2. Adhar/EID Number
3. Mobile Number
4. Father's/Husband's Name of Applicant
5. Full Residential Address
6. IFSC Code of Bank
7. Bank's Account Number
8. Name of Bank & Branch
9. List of other family members for Ration Card

Sl. No.	Name	Father's /Husband's Name	Gender	Age	Marital Status	Relation
1	2	3	4	5	6	7

Adhar/EID No.	Mobile No.	Occupation / Service	Source of Income	Monthly Income
8	9	10	11	12

10. Applicant of Rural Area will tick either Yes /No of the followings:-

(i) Whether owns motor driven tricycle / four wheeler [ ] [ ]

(ii) Whether owns machine driven three/four wheeled agriculture equipments Yes [ ] No [ ]

(iii) Whether holds non-agriculture professional family house-hold registered under the government Yes [ ] No [ ]

(vi) Whether monthly income of any member of family is more than Rs. 10,000/- Yes [ ] No [ ]

(v) Whether pays Income Tax Yes [ ] No [ ]

(vi) Whether pays professional tax Yes [ ] No [ ]

(vii) Whether all rooms (either three or more) of house in which he/she lives is made up of cemented walls and roof Yes [ ] No [ ]

(viii) Whether family holds at least one agriculture equipment with 2.5 or more acres of irrigated land Yes [ ] No [ ]

(ix) Whether holds house-hold with five or more acres of irrigated land for two or more crop seasons Yes [ ] No [ ]

(x) Whether holds house-hold having one agriculture equipment at least with 7.5 or more acres of land Yes [ ] No [ ]

(xi) Whether applicant or any member of family is in service Yes [ ] [ ]

If Yes, give following details:-

(a) Name of Service-

(b) Place of posting –

(c) Monthly income-

11. Applicant of Urban Area will tick either Yes /No of the followings:-

(i) Whether pays Income Tax Yes [ ] No [ ]

(ii) Whether applicant of any member of his/her family is in Group A, Group B, Group C and Group D (excluding group D member of Schedule Caste /Schedule Tribes) service- Yes No [ ] [ ]

If Yes, give following description:-

(a) Name of Service-

(b) Place of posting –

(c) Monthly income-

(iii) Whether pays professional tax Yes [ ] No [ ]

(iv) Whether holds self owned house-hold having a building of three or more cemented rooms with concrete roof Yes [ ] No [ ]

(v) Whether monthly Income of any member of family is more than Rs. 20,000/- Yes ☐ No ☐

(v) Whether all the three equipments- Two Wheeler, Refrigerator and Washing Machine are available Yes ☐ No ☐

(vi) Whether house-hold has Four Wheeler Yes ☐ No ☐

(vii) Whether house-hold has Washing Machine Yes ☐ No ☐

Signature /Thumb Impression of Applicant
Name-

Date
Place

Declaration

Madam / Sir

I along with my family declare that entries of application are true. I have not submitted application for Ration Card earlier. If any fact mentioned in application is found untrue, I will be responsible to face penal/legal action.

Signature /Thumb Impression of Applicant
Name-

Date
Place

Under Priority House Hold (PHH):-
Application form – Accepted ☐ Rejected ☐

Reason of rejection -

Application Pro-forma- 'kh'

(Pro-forma for rectification in Ration Card or for surrendering/ cancelation of Ration Card under Bihar Right to Public Services Act)

{See Section 9 of National Food Security Act, 2013 and Sub Para -13, 14 of Para-3 and Sub Para-7, 8, 9 of Para-4 of Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2015}

Family Photo

1. Name of Applicant
2. Adhar/EID Number
3. Mobile Number
4. Father's/Husband's Name of Applicant
5. Full Residential Address
6. Ration Card No.
7. Name of concerned dealer and license No.
8. Reason of rectification in Ration Card-
   (a) Change of residence
   (b) Birth / Death
   (c) Factual errors of Ration Card
   (d) Other reason
9. Description for rectification

Sl. No.	Name	Father's /Husband's Name	Gender	Age	Marital Status	Relation
1	2	3	4	5	6	7

Adhar/EID No.	Mobile No.	Occupation / Service	Source of Income	Monthly Income
8	9	10	11	12

10. Grounds for surrender / Cancelation

(A) Tick ( ) either Yes or No, in case of change in Residential, Birth, Marital, Social and Economical change of rural area-

(i) Whether owns motor driven tricycle / four wheeler Yes ☐ No ☐

(ii) Whether owns machine driven three/four wheeled agriculture equipments Yes ☐ No ☐

(iii) Whether holds non-agriculture professional family house-hold registered under the government Yes ☐ No ☐

(vi) Whether monthly income of any member of family is more than Rs. 10,000/- Yes ☐ No ☐

(v) Whether pays Income Tax Yes ☐ No ☐

(vi) Whether pays professional tax Yes ☐ No ☐

(vii) Whether all rooms (either three or more) of house in which he/she lives is made up of cemented walls and roof Yes ☐ No ☐

(viii) Whether family holds at least one agriculture equipment with 2.5 or more acres of irrigated land Yes ☐ No ☐

(ix) Whether holds house-hold with five or more acres of irrigated land for two or more crop seasons Yes ☐ No ☐

(x) Whether holds house-hold having one agriculture equipment at least with 7.5 or more acres of land Yes ☐ No ☐

(xi) Whether applicant or any member of family is in service Yes ☐ No ☐

If Yes, give following details:-

(d) Name of Service-

(e) Place of posting –

(f) Monthly income-

(B) Tick ( ) either Yes or No, in case of change in Residential, Birth, Marital, Social and Economical change of urban area-

(i) Whether pays Income Tax Yes ☐ No ☐

(ii) Whether applicant of any member of his/her family is in Group A, Group B, Group C and Group D (excluding group D member of Schedule Caste /Schedule Tribes) service- Yes No ☐ ☐

If Yes, give following description:-

(a) Name of Service-

(b) Place of posting –

(c) Monthly income-

(iii) Whether pays professional tax Yes ☐ No ☐

(iv) Whether holds self owned house-hold having a building of three or more cemented rooms with concrete roof Yes ☐ No ☐

(v) Whether monthly Income of any member of family is more than Rs. 20,000/- Yes [ ] No [ ]

(vi) Whether all the three equipments- Two Wheeler, Refrigerator and Washing Machine are available Yes [ ] No [ ]

(vii) Whether house-hold has Four Wheeler Yes [ ] No [ ]

(viii) Whether house-hold has Washing Machine Yes [ ] No [ ]

Kindly rectify the Ration Card according to Para---------- above / cancel the Ration Card according to Para- ------- above.

Signature /Thumb Impression of Applicant

Date
Name-
Place

Declaration

Madam / Sir

I along with my family declare that entries of application are true. If any fact mentioned in application is found untrue, I will be responsible to face penal/legal action.

Signature /Thumb Impression of Applicant "

Date
Name-
Place

3. Other entries of Department's notification No. 19431 dated 23-12-2013 will remain as earlier.
4. Department of Food and Consumer Protection, Bihar, Patna will issue other required formats, time to time, after consulatation with the Law Department.

By the order of Governor of Bihar,

ह0/–
(Dayanidhan Pandey)
Additional to Government.

संख्या–18/लो0से0अ0–12–01/2016(खण्ड)सा0प्र0 17408 /पटना 15 दिनांक– 30-12-16

प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी, गजट प्रकाशन कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी.डी. सहित) राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनु0–सी.डी.।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(दयानिधान पाण्डेय)
सरकार के अपर सचिव।

संख्या–18/लो0से0अ0–12–01/2016(खण्ड)सा0प्र0 17408 /पटना 15 दिनांक– 30-12-16

प्रतिलिपि–सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/स्थानिक आयुक्त, बिहार, भवन, नई दिल्ली/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी एवं विभागीय आई.टी. मैजेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना
विशेष सचिव
25 SEP 2017

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
।। अधिसूचना ।।

पटना, दिनांक- 15-9-17

संख्या-18/लो०से०अ०-12-01/2016(खण्ड) 11960/बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम, 4. 2011) की धारा-3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-17408 दिनांक-30.12.2016 में तुरत के प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है:-

2. उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट-1 क्रम संख्या-7 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:-

क्र0 सं0	विभाग का नाम/सेवा का नाम		नामनिर्दिष्ट लोक सेवक	सेवा हेतु समय सीमा	अपीलीय प्राधिकार	प्रथम अपील के निष्पादन हेतु सीमा	पुनर्विलोकन प्राधिकार	द्वितीय अपील के निष्पादन हेतु समय सीमा
1	2		3	4	5	6	7	8
7	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। (i) नये राशन कार्ड का निर्गमन	(क) प्राप्त आवेदनों के जांचोपरांत अनुशंसा के साथ अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापन	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	15 कार्य दिवस	अनुमंडल पदाधिकारी	21 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	15 कार्य दिवस
		(ख) अनुशंसा व अभाव प्राप्त होने के पश्चात् अपेक्षानुसार सत्यापन एवं निर्णय	अनुमंडल पदाधिकारी	15 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	21 कार्य दिवस	प्रमण्डलीय आयुक्त	15 कार्य दिवस
	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। (iii) राशन कार्ड में संशोधन (नाम में संशोधन/नाम जोड़ना/नाम हटाना)	(क) प्राप्त आवेदनों के जांचोपरांत अनुशंसा के साथ अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापन	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	15 कार्य दिवस	अनुमंडल पदाधिकारी	21 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	15 कार्य दिवस
		(ख) अनुशंसा के अभाव प्राप्त होने के पश्चात् अपेक्षानुसार सत्यापन एवं निर्णय	अनुमंडल पदाधिकारी	15 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	21 कार्य दिवस	प्रमण्डलीय आयुक्त	15 कार्य दिवस
	खाद्य एवं	(क) प्राप्त आवेदनों के जांचोपरांत अनुशंसा के साथ अनुमंडल	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	15 कार्य दिवस	अनुमंडल पदाधिकारी	21 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	15 कार्य दिवस

372
303

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र06–रा0का0II–02/2013 1316 खाद्य, पटना/दिनांक 23.02.2016

प्रेषक,

अंजनी कुमार सिंह,
मुख्य सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

विषय :– SECC डाटा के अतिम प्रकाशन के पश्चात् लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन कार्ड से संबंधित त्रुटियों का निराकरण कर राशन कार्ड उपलब्ध कराने एवं आधार सीडिंग के संबंध में ।

महाशय,

आप अवगत हैं कि विभागीय पत्रांक–8136, दिनांक–27.12.2013 एवं पत्रांक–6632 दिनांक–19.08.2015 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए SECC डाटा के आधार पर लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पूर्विकताप्राप्त परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने हेतु व्यापक दिशा–निदेश दिये गये है । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आलोक में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के आधार पर ग्रामीण विकास विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा कुल 8.62 करोड़ पात्र लाभुकों का डाटा उपलब्ध कराया गया, जिसके विरूद्ध त्रुटियों के कारण 8.57 करोड़ योग्य लाभार्थी गृहस्थियों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया है। भारत सरकार से कुल 8.57 करोड़ पात्र लाभुकों के लिए खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियमं 2013 के आलोक में विभिन्न विभागीय पत्रों द्वारा अवतक दिये गये महत्वपूर्ण दिशा–निदेशों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :–

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में सभी पात्र पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के लाभुकों को राशन कार्ड विहित प्रक्रिया अपनाते हुए वितरण कराना (पत्रांक–8136, दिनांक 27.12.2013) ।

2. जिला स्तर पर पात्र गृहस्थियों की सूची तैयार करने एवं राशन कार्ड वितरण के दौरान दृष्टिगत कतिपय त्रुटियॉ यथा पात्रता रखने वाले गृहस्थी का नाम सूची में शामिल नहीं रहने एवं मुद्रित राशन कार्डों में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि आदि का ससमय निराकरण करने (पत्रांक– 4187, दिनांक–09.07.2014) ।

3. सरकारी सेवक/आयकर दाता/सेवा कर दाता/तीन पहिया–चार पहिया वाहन मालिक आदि जैसी सुविधा वाले परिवारों के नाम से राशन कार्ड मुद्रित होने संबंधी मामले में विभागीय पत्रांक–03, दिनांक–01.01.2014 के द्वारा निर्धारित मानक के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करना (पत्रांक–4187, दिनांक–09.07.2014) ।

4. सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना सूची में नाम होने के बावजूद राशन कार्ड की मांग करने वाले गृहस्थियों की प्रारूप सूची में अंकित विशिष्टियों की जांच कर उन्हें अवगत कराना (पत्रांक–4187, दिनांक–09.07.2014) ।

5. सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना सूची के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् बढ़े हुए परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराना (पत्रांक–6632, दिनांक–9.08.2015)।

6. अन्त्योदय श्रेणी के गृहस्थियों को पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशन कार्डों को वापस करने अथवा रद्द कर उनके लिए नया राशन कार्ड उपलब्ध कराना (पत्रांक–6632, दिनांक 19.08.2015)।

7. जिन अन्त्योदय श्रेणी के परिवारों का राशन कार्ड मुद्रण कराया जा रहा है, उसका नाम SECC आधारित डाटाबेस के पात्र परिवारों की सूची में शामिल रहना (पत्रांक–6632, दिनांक–19.08.2015)।

इस क्रम में जिलों से राशन कार्ड वितरण का प्रतिवेदन एवं सूचनाओं के आधार पर यह पाया जा रहा है कि जिलान्तर्गत पूर्विकताप्राप्त श्रेणी एवं अन्त्योदय श्रेणी के अन्तर्गत **अलग–अलग राशन कार्ड वितरण** प्रतिवेदित नहीं हो रहा है तथा ऐसी शिकायतें भी प्राप्त हो रही है कि विभाग द्वारा पात्रता के लिए निर्धारित मानक से भिन्न श्रेणी के गृहस्थियों को भी राशन कार्ड प्राप्त हुआ है ।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के लाभार्थियों के चयन के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत को संशोधित करते हुए 'राज्य सरकार के अनु0 जाति/अनु0 जनजाति के ग्रुप–D के कर्मी' के स्थान पर 'सरकारी सेवा के अनु0 जाति/अनु0 जनजाति के ग्रुप–D के कर्मी' को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावे पूर्व में अन्त्योदय परिवारों में छुटे हुए लाभार्थियों, यथा–विशेषकर मुसहर एवं महादलित समुदाय के लाभार्थियों को भी इसमें शामिल करने हेतु सत्यापन की आवश्यकता है। अतः निम्नलिखित कार्ययोजना के अनुसार निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत कार्य कराया जाएगा :–

(क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत चयनित लाभुकों का सत्यापन – पूर्व में SECC के डाटा के आधार पर लाभार्थियों का सत्यापन का निदेश दिया गया था। इसके आलोक में संलग्न प्रपत्र में राशन कार्ड का सत्यापन एवं डाटा संग्रहण किया जाना है। इस हेतु क्षेत्र स्तर पर अन्य विभागों के कर्मी, यथा–पंचायत सेवक, हल्का कर्मचारी, टोला सेवक, विकास मित्र, किसान सलाहकार इत्यादि की सेवा ली जा सकती है। इन सभी कर्मियों को सर्वेक्षण एवं सत्यापन करने हेतु जिला एवं प्रखंड स्तर पर एकदिवसीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय। तदोपरांत निम्न कार्रवाई की जाय :–

(i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पहचान किये गये लाभुकों का सत्यापन कराते हुए सॉफ्टवेयर के माध्यम से डाटा स्क्रीनिंग कराकर अयोग्य/डुप्लीकेट लाभुकों को चिन्हित कर सत्यापनोपरांत उनका राशन कार्ड रद्द किया जाय।

(ii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पूर्विकताप्राप्त श्रेणी एवं अन्त्योदय श्रेणी के पात्र लाभुकों को वितरित किये गये राशन कार्डो की स्थानीय स्तर पर जांच कर ली जाय एवं उनकी पात्रता के अनुसार वितरित किये गये राशन कार्डों की श्रेणीवार एवं जिलावार स्पष्ट संख्या विभाग को उपलब्ध करायी जाय एवं अन्त्योदय अन्न योजना तथा पूर्विकताप्राप्त गृहस्थियों का अलग–अलग डाटा बेस तथा निर्गत राशन कार्ड की संख्या विभाग को उपलब्ध कराई जाय ।

(iii) निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांत के विपरीत निर्गत राशन कार्ड को चिहिन्त कर रद्दीकरण करते हुए प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराई जाय। विभाग द्वारा निर्धारित पात्रता के मानक से भिन्न गृहस्थियों को वितरित की गई राशन कार्डो को वापस प्राप्त करने/रद्द करने हेतु सम्यक् कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय ।

(iv) सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 से चयनित किये गये पात्र लाभुकों के डाटाबेस में Blank field को जांचोपरांत जिलों में Fill up किया जाय तथा समेकित पूर्ण डाटाबेस विभाग को उपलब्ध कराई जाय ताकि e-PDS बेवपोर्टल पर अपलोड कराया जा सके ।

(ख) <u>राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आलोक में लाभुकों का आधार पंजीकरण, आधार सीडिंग –</u>

(i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आलोक में FPS Automation योजना तथा DBT योजना को लागू करने हेतु आधार पंजीकरण तथा आधार सीडिंग की कार्रवाई अभियान चलाकर की जाय।

(ii) आधार पंजीकरण तथा आधार सीडिंग की कार्रवाई हेतु विहित प्रपत्र में सूचनाएँ एकत्रित करते हुए समेकित पूर्ण डाटाबेस में प्रविष्टि किया जाय, ताकि सही लाभुकों को योजना का लाभ मिल सके (विहित प्रपत्र संलग्न)।

UIDAI के प्रतिवेदन के अनुसार अबतक राज्य में लगभग 65% आधार का पंजीकरण हुआ है एवं 80% वयस्क लाभुकों का आधार पंजीकरण किया गया है। अतः इनका आधार पर सीडिंग e-PDS के डाटा बेस में किया जाना है। आधार सीडिंग सामान्यतः दो रूप से किया जाएगा :-

(A) Organic Aadhaar Seeding – इसके तहत SECC के डाटा बेस के TIN No. के आधार पर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा/एनपीआर डाटा बेस, जिसमें आधार पंजीकरण नं0 उपलब्ध हो, उसे सॉफ्टवेयर के माध्यम से TIN No. से मिलानकर सीधे Migrate किया जा सकता है।

(B) In-Organic Aadhaar Seeding – इसमें सीधे लाभुकों से आधार नं0 प्राप्त कर डाटा बेस में प्रविष्टि करना है। इस हेतु संलग्न प्रपत्र की कंडिका 11 एवं 15 में आधार नं0 प्राप्त किया जाना है एवं इसे डाटा बेस में प्रविष्ट कराया जाना है।

(ग) मृत/स्थायी रूप से निवास स्थान परिवर्तित लाभुकों का नाम हटाना एवं नये लाभुकों का नाम शामिल करना।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य को निर्धारित लक्ष्य 8.71 करोड़ के विरूद्ध मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार 8.57 करोड़ लाभार्थी का चयन किया गया है। इसके बावजूद भी कतिपय मामलों में कुछ छुटे हुए लाभुकों का चयन किया जाना है। इसके अतिरिक्त SECC के सर्वेक्षण के बाद अनेक लाभार्थी या तो मृत हुए होंगे या स्थायी रूप से उनका निवास-स्थान उन्होंने परिवर्तित कर लिया होगा। वैसे लाभार्थी को डाटा बेस से सत्यापन कर हटाया जाना है। अतः विहित प्रपत्र की कंडिका 6 एवं 15 के लाभार्थियों का भी सत्यापन कराया जाय एवं मृत एवं स्थायी रूप से लाभार्थियों के पहचान हेतु कर्मियों को सत्यापन कार्य हेतु व्यापक प्रशिक्षण किया जाना है। आप अवगत हैं कि लक्षित जनवितरण प्रणाली के अन्तर्गत लाभार्थी सूची एक Dynamic सूची है, जिसमें मृतक एवं अयोग्य लाभार्थियों का नाम सतत रूप से हटाया जाना है एवं नये जन्मे हुए लाभार्थियों का नाम एक विहित प्रक्रिया के तहत जोड़ा जाना है। **लोक सेवा के अधिकार अधिनियम** के तहत राशन कार्ड निर्गत करने की शक्ति अनुमंडल पदाधिकारी को दी गई है। अतः वैसे सुयोग्य लाभार्थियों को लोकसेवा के अधिकार अधिनियम के तहत विहित प्रक्रिया अपनाते हुए उनका चयन कर e-PDS वेबपोर्टल पर अपलोड कर ही उनका राशन कार्ड निर्गत की जाय।

प्रशिक्षणः- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों का डाटा बेस एक बहुत बड़ी डाटा बेस है, जिसमें लगभग 85% लोगों को इसके अन्तर्गत आच्छादित किया गया है। अतः इस डाटा बेस के शुद्धिकरण हेतु सत्यापन करने वाले कर्मियों का प्रशिक्षण कराया जाएगा :-

(क) राज्य स्तर पर जिला स्तर के दो-दो पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कराया जाएगा, जो जिला स्तर प्रत्येक प्रखंड से प्रत्येक पाँच पंचायत पर पर्यवेक्षक स्तर के एक पदाधिकारी को प्रशिक्षित कराया जाएगा, जो प्रखंड स्तर पर इस कार्य में लगाये जाने वाले सत्यापन दल को प्रशिक्षित करेंगे। प्रशिक्षण का कार्यक्रम 01.03.2016 से 07.03.2016 तक पूरी कर ली जाएगी।

पर्यवेक्षणः- उल्लेखनीय है कि यह कार्यक्रम एक समयबद्ध कार्यक्रम होगा एवं सत्यापन का काम सही ढंग से हो, अतः जिला स्तर से प्रत्येक प्रखंड के प्रभारी वरीय उपसमाहर्त्ता को नोडल पदाधिकारी बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पाँच पंचायत पर एक पर्यवेक्षकीय स्तर के पदाधिकारी को पर्यवेक्षण का दायित्व सौंपा जाएगा। जिला स्तर पर जिला आपूर्ति

पदाधिकारी इस कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी होंगे, जो जिला पदाधिकारी के निदेश में निर्धारित समय–सीमा के अन्दर इसका सत्यापन सुनिश्चित करायेंगे।

जिला स्तर पर इसे जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नलिखित समिति होगी :–

1. जिला पदाधिकारी — अध्यक्ष
2. अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदा0 — सदस्य
3. जिला आपूर्ति पदाधिकारी — सदस्य सचिव
4. जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, NIC — सदस्य

राज्य स्तर पर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी एवं UAIDI में समन्वय स्थापित किया जाएगा।

यह कार्य चरणबद्ध तरीके से समय–सीमा के तहत किये जाने की आवश्यकता है। इसके निमित्त किये जाने वाले कार्यो की समय–सीमा निर्धारित करते हुए चरणबद्ध तरीके से उक्त कार्य को करने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए आपसे इसका अनुपालन करने की अपेक्षा रखती है :–

क्र0 सं0	कार्य का नाम	समय–सीमा
1	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पहचान किये गये लाभुको में से सॉफ्टवेयर के माध्यम से अयोग्य/डुप्लीकेट लाभुकों का डाटाबेस filter कराते हुए समेकित डाटाबेस तैयार करना ।	22.02.2016 से 04.03.2016 तक
2	अयोग्य/डुप्लीकेट लाभुकों के तैयार डाटाबेस तथा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्वांत के विपरीत निर्गत राशन कार्डो को जिला स्तर पर अभियान चलाकर चिन्हित करते हुए नियमानुसार उनके राशन कार्ड को रद्द करने की कार्रवाई किया जाना तथा प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाना।	05.03.2016 से 21.03.2016 तक
3	सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 से चयनित किये गये पात्र लाभुकों के डाटाबेस में अयोग्य/डुप्लीकेट लाभुकों को हटाने तथा Blank field को भरने संबंधी कार्रवाई करते हुए समेकित पूर्ण डाटाबेस e-PDS बेवपोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु विभाग को उपलब्ध कराया जाना।	28.03.2016 से 04.04.2016 तक
4	सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के आधार पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत निर्गत अन्त्योदय एवं पूर्विकताप्राप्त राशन कार्डों का सत्यापन एवं डाटा संग्रहण विहित प्रपत्र में किया जाना । इस हेतु राशन कार्ड डाटा बेस के आधार पर चिन्हित लाभुकों का UIDAI से समन्वय स्थापित कर आधार कार्ड पंजीकरण कराते हुए डाटा संग्रहण की कार्रवाई की जानी है। तत्पश्चात् Aadhar Authentication कराते हुए राशन कार्ड डाटाबेस के साथ आधार सीडिंग की कार्रवाई किया जाना ।	a. जांच/सत्यापन एवं डाटा संग्रहण हेतु राशन कार्ड आधारित विहित प्रपत्र की छपाई – 10.03.2016 से 17.03.2016 तक b. पूर्विकताप्राप्त श्रेणी एवं अन्त्योदय श्रेणी के पात्र लाभुकों के राशन कार्डो का विहित प्रपत्र के अनुसार डाटा संग्रहण तथा टीम गठित कर अभियान चलाकर भौतिक सत्यापन – 18.03.2016 से 09.04.2016 तक C. चिन्हित लाभुकों का UIDAI से समन्वय स्थापित कर आधार कार्ड पंजीकरण कराते हुए डाटा संग्रहण की कार्रवाई तथा Aadhar Authentication कराते हुए राशन कार्ड डाटाबेस के साथ आधार सीडिंग की कार्रवाई – 22.02.2016 से 09.04.2016 तक

		D. पात्रता के अनुरूप पूर्विकताप्राप्त एवं अन्त्योदय के वितरित किये गये राशन कार्ड का श्रेणीवार संख्या विभाग को उपलब्ध कराया जाना–11.04.2016 से 20.04.2016 तक

8. आप अवगत होना चाहेंगे कि राज्य को निर्धारित लक्ष्य 8.71 करोड़ लाभार्थी के विरूद्ध मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार पात्र लाभुकों को शामिल किया जा चुका है, फिर भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत सुयोग्य लाभुक बचे होने की सूचना प्राप्त हो रही है। ऐसी परिस्थिति में आधार सीडिंग के साथ सत्यापन एवं डाटा संग्रहण का कार्य महत्त्वपूर्ण हो गया है।

9. इस कार्य हेतु राशि की व्यवस्था विभाग स्तर से की जा रही है, जिससे निर्धारित समय–सीमा में यह कार्य संपन्न हो सके।

10. उपर्युक्त कार्यो में तकनीकी सहयोग जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0 देंगे।

कृपया उपर्युक्त निदेशों का ससमय अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाय ।

अनुलग्नक – प्रपत्र ।

विश्वासभाजन

मुख्य सचिव।

ज्ञापांक– प्र06–रा0का0II–02/2013 1316 खाद्य, पटना/दिनांक 23.02.2016

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

मुख्य सचिव।

ज्ञापांक– प्र06–रा0का0II–02/2013 1316 खाद्य, पटना/दिनांक 23.02.2016

प्रतिलिपि – राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र06–रा0का011–02/2013 3738 खाद्य, पटना/दिनांक 21.06.16

प्रेषक,

अंजनी कुमार सिंह,
मुख्य सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

विषय :– SECC डाटा के अतिम प्रकाशन के पश्चात् लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन कार्ड से संबंधित त्रुटियों का निराकरण कर राशन कार्ड उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

कृपया विभागीय पत्रांक 1316 दिनांक 23.02.2016 का निदेश करना चाहेंगे। उपर्युक्त पत्र द्वारा SECC डाटा के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् लक्षित जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत राशन कार्ड से संबंधित त्रुटियों का निराकरण कर राशन कार्ड उपलब्ध कराने के साथ–साथ चरणबद्ध तरीके से माह अप्रैल तक अभियान चलाकर निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों के विपरीत राशन कार्डो के रददीकरण के साथ–साथ चिन्हित लाभुकों का UIDAI से सम्बद्धता स्थापित कर आधार कार्ड पंजीकरण कराते हुए डेटा संलग्न करने की कार्रवाई की जानी थी और उसके पश्चात आधार Authentication कराते हुए राशन कार्डो की डेटा बेस के आधार सीडिंग की कार्रवाई की जानी थी।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि उपर्युक्त कार्य आपके जिला में लगभग पूर्ण कर लिये होंगे, लेकिन विभाग को उसकी अद्यतन सूचना प्राप्त नही हो रही है। कई जिलों से यह बताया गया है कि पंचायत चुनाव, 2016 के कारण उक्त कार्य की निर्धारित समय–सीमा के अंदर पूर्ण नही किये जा सके है, जिसे पूर्ण करने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता है। विभाग ने समीक्षोपरांत यह निर्णय लिया है कि उपर्युक्त कार्य की महत्ता को देखते हुए उसे चरणबद्ध तरीके से यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाय। भारत सरकार द्वारा भी इस कार्य को पूर्ण करने के लिए लगातार स्मार प्राप्त हो रहे है।

अतः विभाग ने यह निर्णय लिया है कि पूर्व में विभागीय पत्रांक 1316 दिनांक 23.02.2016 में दिये गये समय–सीमा की अवधि निम्न रूप से विस्तारित की जाती है :–

क्र0	कार्य का नाम	समय–सीमा	क्रियान्वयन करने वाले पदाधिकारी
1.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अंतर्गत पहचान किये गये लाभुको में से सॉफ्टवेयर के माध्यम से अयोग्य/डुप्लीकेट लाभुकों का डाटाबेस filter कराते हुए समेकित डाटाबेस तैयार करना ।	दिनांक 22.06.2016 से 29.06.2016 तक	D.I.O & D.S.O
2.	सत्यापन एवं डाटा संग्रहण हेतु राशन कार्ड आधारित विहित प्रपत्र की छपाई ।		D.S.O
3.	ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का final SQL डाटाबेस (RC 01, RC 02) का बैकअप DVD/ Hard Disk में जिला द्वारा विभाग में जमा करना।	दिनांक 30.06.2016 से 05.07.2016 तक	D.S.O & D.I.O
4.	(क) सत्यापन एवं डाटा संग्रहण प्रपत्र में अयोग्य/डुप्लीकेट लाभुकों को मार्गदर्शक सिद्धांत के विपरीत निर्गत राशन कार्डो को चिन्हित करना (विहित प्रपत्र के अभ्युक्ति में अपात्रता के कारण को दर्शाया जाना आवश्यक है) ।	दिनांक 29.06.2016 से 29.07.2016 तक	D.S.O, S.D.O, B.D.O, M.O, B.S.O & Block level

	जाना आवश्यक है) । (ख) विहित प्रपत्र में आधार कार्ड तथा बैंक खाता संख्या का संग्रहण (आधार कार्ड तथा बैंक खाता का प्रथम पृष्ठ जिसपर खाता संख्या लिखा हो का छायाप्रति) किया जाना।		Verification staff.
5.	सत्यापन के पश्चात् अयोग्य पाये गये लाभार्थियों के राशन कार्ड को अनुमंडल स्तर पर अभियान चलाकर रद्द करने की कार्रवाई किया जाना ।	दिनांक 30.07.2016 से 31.08.2016 तक	S.D.O & M.O
6.	जिला द्वारा e-pds portal पर जन वितरण प्रणाली दुकान (FPS) का अद्यतन करते हुए शुद्धिकरण किया जाय ।	दिनांक 18.06.2016 से 29.06.2016 तक	D.S.O & D.I.O
7.	विभाग द्वारा चयनित भेंडर के माध्यम से जिला स्तर पर संग्रहित प्रपत्र से –(क) डाटा संग्रहण के उपरांत प्रपत्र में भरी गई प्रविष्टियों का मिलान संलग्न छायाप्रति के साथ किये जाने का कार्य । (ख) डाटा का अद्यतन एवं आधार, बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम, मोबाईल नं0 आदि का प्रविष्टि का कार्य । प्रविष्टि के समय विहित प्रपत्र को स्केन कर सॉफ्ट कॉपी में save कर फाईल बना लिया जाय । (ग) प्रविष्टि कार्य के उपरांत check list print कराकर मूल संग्रहित प्रपत्र से मिलान प्रखंड स्तरीय कर्मियों द्वारा किया जाना। (घ) मिलान के उपरांत पाये गये अशुद्धियों को भेंडर द्वारा पुनः Software के माध्यम से अद्यतन किया जाना ।	दिनांक 30.07.2016 से 13.09.2016 तक	नामित एजेंसी M.O, B.S.O प्रखंड स्तरीय कर्मियों
8.	संग्रहित आधार संख्या का Authentication का कार्य चयनित ऐजेंसी या अन्य माध्यम से कराते हुए डाटा बेस में गलत अथवा सही आधार संख्या, बैंक खाता संख्या को चिन्हित करते हुए राशन कार्ड संख्या से Mapping किया जाना ।	दिनांक 14.09.2016 से 21.09.2016 तक	—

उपरोक्त अवधि विस्तार में निम्नलिखित कार्रवाई करते हुए संलग्न विहित प्रपत्र I से IV तक में प्रतिवेदन संकलित की जाय :–

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत सुयोग्य लाभुक बचे होने की सूचना प्राप्त हो रही है। उसके संदर्भ में निदेश दिया जाता है कि वैसे बचे हुए लाभुकों से RTPS के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त किया जाय एवं नियमानुसार जॉचोपरांत चयन करने की कार्रवाई करते हुए राशन कार्ड निर्गत करने की कार्रवाई की जाय।
2. जॉच दल के गठन में पंचायत सचिव/हल्का कर्मचारी/टोला सेवक/विकास मित्र/आंगनबाड़ी सेविका/किसान सलाहकार इत्यादि कर्मियों की सेवा ली जा सकती है। गठित जॉच दल के कार्यो का अनुश्रवण हेतु पर्यवेक्षकीय पदाधिकारियों को भी लगाया जाय।
3. प्रपत्र की छपाई जिलों के लिए निर्धारित चुनाव दर या अन्य कोई दर यदि पूर्व से जिलों में निर्धारित हो तो, वित्तीय नियमावली का अनुपालन करते हुए करायी जा सकती है। प्रपत्र छपाई के लिए राशि विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है।
4. तकनीकी सहयोग जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0 देंगे।
5. डाटा सत्यापन हेतु प्रिंट कराये गये राजस्व ग्रामवार पंजी को डाटा सत्यापन कराने के पश्चात् डाटा तैयार करने हेतु संबंधित प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को Co-ordinator (समन्वयक) बनाया जाय। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी कि वे डाटा सत्यापन के पश्चात् ग्रामवार पंजियों को प्राप्त कर सत्यापनोपरांत डाटा को विभागीय प्रपत्र I और II में संकलित कर प्रतिवेदन जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपलब्ध कराएँ ।
6. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सत्यापनोपरांत ग्रामवार प्राप्त डाटा पंजी को उपलब्ध कराये गये विभागीय अलमीरा में सुरक्षित रखेंगे तथा जिला आपूर्ति पदाधिकारी के आदेश से ग्रामवार

डाटा पंजी को प्रविष्टि एवं अद्यतन करने हेतु नामित भेंडर को उपलब्ध करायेंगे । नामित भेंडर द्वारा प्रविष्टि कार्य के पश्चात् उपरोक्त पंजी को प्राप्त कर पुनः सुरक्षित रखा जाएगा ।

7. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सत्यापनोपरांत डाटा पंजी से अपात्र परिवारों को चिन्हित कर उसका प्रतिवेदन संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराएँगे, जिसके आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी संबंधित अपात्र व्यक्ति को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस कर अग्रेतर कार्रवाई करेंगे ।

8. अनुमंडल पदाधिकारी SECC डाटा के सत्यापनोपरांत अपात्र परिवारों का राशन कार्ड रद्द करने की कार्रवाई करेंगे और प्रतिवेदन प्रपत्र III में संकलित कर जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपलब्ध कराएँगे । जिला आपूर्ति पदाधिकारी अनुमंडलों से प्राप्त प्रतिवेदनों को संकलित कर विभाग को उपलब्ध कराएँगे ।

9. जिला आपूर्ति पदाधिकारी सभी कार्यों का पर्यवेक्षण कर सभी समेकित प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

10. संग्रहित डाटा की प्रविष्टि एवं अद्यतीकरण, आधार कार्ड संख्या, बैंक खाता संख्या, मोबाईल नं0– एवं अन्य जानकारी यथा चेकलिस्ट प्रिंटिंग, विभिन्न प्रतिवेदन तैयार करने हेतु ऑनलाईन सॉफ्टवेयर का निर्माण एवं होस्टिंग करने का कार्य किया जाएगा ।

11. साथ ही इसके अतिरिक्त विभागीय पत्रांक 8136 दिनांक 27.12.2013, पत्रांक 6632 दिनांक 19.08.2015 एवं पत्रांक 1316 दिनांक 23.02.2016 में दिये गये निदेश यथावत रहेंगे।

कृपया उपर्युक्त निदेशों का ससमय अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाय ।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक – प्रपत्र (I से IV)।

मुख्य सचिव ।

ज्ञापांक– प्र06–रा0का0II–02/2013 3738 खाद्य, पटना/दिनांक 21.06.16

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक– प्र06–रा0का0II–02/2013 3738 खाद्य, पटना/दिनांक 21.06.16

प्रतिलिपि – राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुरोध है कि कंडिका – 10 के आलोक में अविलंब आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय ।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक– प्र06–रा0का0II–02/2013 3738 खाद्य, पटना/दिनांक 21.06.16

प्रतिलिपि – सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव

D:\ YEAR-2015\ ... SECC ... components.doc

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र06–रा0का0II–02/2013 6632 खाद्य, पटना/दिनांक 19.08.15

प्रेषक,

अंजनी कुमार सिंह,
मुख्य सचिव, बिहार ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

विषय :– SECC डाटा के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बढ़े हुए परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का पत्र सं0– 8136 दिनांक 27.12.2013 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि SECC डाटा के आधार पर लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पूर्विकताप्राप्त परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने हेतु व्यापक दिशा–निदेश दिये गये हैं । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आलोक में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के आधार पर ग्रामीण विकास विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा तत्समय उपलब्ध कराये गये कुल 7.60 करोड़ पात्र व्यक्तियों की संख्या के आलोक में उक्त श्रेणी के राशन कार्ड जिलों द्वारा उपलब्ध कराया गया है ।

ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा पत्र सं0– 235755 दिनांक 24.06.2015 द्वारा सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC)11 सर्वेक्षण के अन्तर्गत अंतिम सूची के प्रकाशन के उपरांत सभी जिलों में ग्रामीण पात्र परिवारों के सदस्यों का 7,62,76,273 डाटा, शहरी पात्र परिवारों के सदस्यों का 85,70,400 डाटा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पात्र परिवारों के सदस्यों का 12,80,998 डाटा एवं 45 साल तक की पात्र विधवा महिला का 1,67,064 डाटा उपलब्ध कराया गया है । इस प्राप्त डाटा के आधार पर जिलों में पूर्व से पहचान किये गये परिवारों को अलग कराते हुए बढ़े हुए परिवारों का डाटाबेस सभी जिलों को दिनांक 11.07.2015 को उपलब्ध कराया गया है । सभी जिलों से इसके आधार पर बढ़े हुए परिवारों/व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न की आवश्यकता संबंधी अधियाचना भी प्राप्त किया गया है । इन परिवारों को खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है ।

आप अवगत है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में पात्र परिवारों को नया राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाना है । उक्त अधिनियम की धारा 13(1) एवं (2) के अनुसार प्रत्येक पात्र गृहस्थी में, वरिष्ठ स्त्री, जिसकी आयु अठारह वर्ष से कम की न हो, राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए, गृहस्थी की मुखिया होगी । जहॉं किसी गृहस्थी में किसी समय कोई स्त्री अथवा अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु की स्त्री नहीं है, किन्तु अठारह वर्ष से कम आयु की महिला सदस्य है तो वहॉं गृहस्थी का वरिष्ठ पुरूष सदस्य राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए गृहस्थी का मुखिया होगा और महिला सदस्य अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, ऐसे राशन कार्डो के लिए, पुरुष सदस्य के स्थान पर, गृहस्थी की मुखिया बन जाएगी ।

सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना की डाटाबेस से बढ़े हुए पात्र परिवारों से संबंधित सॉफ्टवेयर एन0आई0सी0, पटना द्वारा सभी जिलों को उक्त डाटा को

e-PDS में Migration हेतु उपलब्ध कराया जा चुका है एवं सभी जिलों द्वारा अतिरिक्त चिन्हित लाभुकों का Standerdized राशन कार्ड का डाटाबेस भी तैयार किया जा चुका है ।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आलोक में अन्त्योदय श्रेणी के गृहस्थियों को पीला रंग का राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाना है । इन परिवारों को भी नया राशन कार्ड दिया जाना अपेक्षित हो गया है क्योंकि अधिनियम लागू होने के पूर्व में निर्गत राशन कार्डों में अधिनियम की धारा 13(1) एवं (2) के अनुरूप गृहस्थी की वरिष्ठ महिला का नाम इस प्रयोजन के लिए मुखिया के रूप में नहीं है । अतः अन्त्योदय श्रेणी के गृहस्थियों को पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशन कार्डों को वापस अथवा रद्द कर उनके लिए नया राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाय ।

राशन कार्ड मुद्रण के समय यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन अन्त्योदय परिवार एवं पूर्विकताप्राप्त लाभार्थी का राशन कार्ड मुद्रण कराया जा रहा है, उसका नाम SECC आधारित आकड़ों के पात्र परिवारों की सूची में शामिल हो । उक्त डाटाबेस (SECC डाटाबेस) से अलग यदि कोई राशन कार्ड मुद्रण या वितरण कराया जाता है तो इसकी पूर्ण जवाबदेही आपकी होगी, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा उन्हीं SECC आकड़ों के आधार पर जिन्हें नेशनल सर्वर पर अपलोड किया गया है, खाद्यान्न का आवंटन किया जा रहा है ।

राशन कार्ड मुद्रण में होने वाले व्यय हेतु खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा अलग से आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा । इसके लिए कुल परिवारों की संख्या, राशन कार्ड की संख्या, मुद्रण का दर एवं इसमे आने वाले कुल व्यय के संबंध में विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

अनुरोध है कि उक्त निदेशों का अनुपालन करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में उक्त परिवारों को अविलंब राशन कार्ड का वितरण सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन

19/8/15

मुख्य सचिव ।

ज्ञापांक– प्र06–रा0का0II–02/2013 6632 खाद्य, पटना/दिनांक 19.08.15

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

19/8/15

मुख्य सचिव ।

ज्ञापांक– प्र06–रा0का0II–02/2013 6632 खाद्य, पटना/दिनांक 19.08.15

प्रतिलिपि – राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

19/8/2015

सरकार के सचिव ।

D:\YEARS - 2015\SECTION - 06\Ration Coupon.doc

(293)

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र0–06/विविध–32/2011 1930 खाद्य, पटना/दिनांक–17.04.2018

प्रेषक,

पंकज कुमार
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय :– बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत नया राशन कार्ड निर्गत करने, राशन कार्ड में संशोधन/प्रत्यर्पण एवं रद्द करने हेतु नाम निर्दिष्ट लोक सेवक अनुमंडल पदाधिकारी को निदेशित करने के संबंध में।

प्रसंग :– सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना –17408 दिनांक 30.12.2016 एवं 11960 दिनांक 15.09.2017 तथा विभागीय पत्रांक – 5827 दिनांक 17.11.2017, 6476 दिनांक 20.12.2017, 676 दिनांक– 08.02.2018 एवं 1132 दिनांक– 06.03.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत शामिल तीन नई सेवाओं यथा नये राशन कार्ड का निर्गमन, राशन कार्ड में संशोधन (नाम में संशोधन/नाम जोड़ना/नाम हटाना) एवं राशन कार्ड का प्रत्यर्पन/रद्दीकरण के लिए उपर्युक्त वर्णित प्रासंगिक पत्रों के द्वारा उपर्युक्त सेवाओं हेतु नाम निर्दिष्ट लोक सेवक अनुमंडल पदाधिकारियों को समय–समय पर विस्तृत दिशा–निदेश दिया गया है ।

उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त प्रासंगिक अधिसूचना में यह वर्णित है कि प्रखंड कार्यालय के RTPS Counter पर प्राप्त आवेदनों को नाम निर्दिष्ट लोकसेवक (प्रखंड विकास पदाधिकारी) द्वारा 15 दिनों के भीतर जांचोपरांत अनुशंसा के साथ अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापित किया जाएगा । तत्पश्चात् नाम निर्दिष्ट लोकसेवक (अनुमंडल पदाधिकारी) अनुशंसा के साथ प्राप्त आवेदनों को 15 दिनों के भीतर अपेक्षानुसार सत्यापित करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मार्गदर्शी सिद्धांत के आलोक में आवेदनों का निष्पादन करते हुए नया राशन कार्ड निर्गत करेंगे । परन्तु अनुमंडलवार प्रतिवेदन से यह परिलक्षित हो रहा है कि अबतक सभी अनुमंडलों द्वारा मात्र 53676 नये राशन कार्ड ही निर्गत किया गया है (प्रतिवेदन संलग्न)। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उपुर्यक्त प्रासंगिक विभागीय पत्रों द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेश के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं किये जाने के कारण पात्र लाभुकों को ससमय राशन कार्ड निर्गत नहीं किया जा पा रहा है ।

अतः अनुरोध है कि सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत नया राशन कार्ड निर्गत करने, राशन कार्ड में संशोधन/प्रत्यर्पण एवं रद्द किये जाने हेतु लंबित आवेदनों का विधिवत निष्पादित करने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,
17/4/2018
सरकार के सचिव ।

अनु0 :– यथोक्त ।

D:\Year+2017+\+SECTION- 06+\Vividh Avi.doc

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक - प्र0-06/विविध-32/2011 269   खाद्य, पटना/दिनांक- 24.01.17

प्रेषक,

डा0 दीपक प्रसाद
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

विषय :-   बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत नया राशन कार्ड निर्गत करने, राशन कार्ड में संशोधन/प्रत्यर्पण एवं रद्द किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं0 17408 दिनांक 30.12.2016 की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 4, 2011) की धारा-3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के द्वारा पूर्व में शामिल सेवा में संशोधन करते हुए तीन नई सेवाओं यथा

1. नये राशन कार्ड का निर्गमन
2. राशन कार्ड में संशोधन (नाम में संशोधन/नाम जोड़ना/नाम हटाना)
3. राशन कार्ड का प्रत्यर्पन/रद्दीकरण

को शामिल करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी को नामनिर्दिष्ट लोक सेवक के रूप में नामित करते हुए समय-सीमा निर्धारित की गई है ।

उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक 3995 दिनांक 05.07.2016 के द्वारा भी बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत नया राशन कार्ड निर्गत करने, राशन कार्ड में संशोधन/प्रत्यर्पण एवं रद्द किये जाने के संबंध में विस्तृत दिशा-निदेश दिया गया था ।

अतः अनुरोध है कि बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत शामिल नयी सेवाओं के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

प्रधान सचिव ।
23/1

ज्ञापांक- प्र0-06/विविध-32/2011 269   खाद्य, पटना/दिनांक- 24.01.17

प्रतिलिपि -- सभी उप निदेशक, खाद्य/अपर जिला दंडाधिकारी आपूर्ति, पटना/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना /सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव ।
23/1

(293)

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र0–06 / विविध–32 / 2011 1930 खाद्य, पटना / दिनांक– 17.04.2018

प्रेषक,

पंकज कुमार
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय :– बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत नया राशन कार्ड निर्गत करने, राशन कार्ड में संशोधन / प्रत्यर्पण एवं रद्द करने हेतु नाम निर्दिष्ट लोक सेवक अनुमंडल पदाधिकारी को निदेशित करने के संबंध में।

प्रसंग :– सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना –17408 दिनांक 30.12.2016 एवं 11960 दिनांक 15.09.2017 तथा विभागीय पत्रांक – 5827 दिनांक 17.11.2017, 6476 दिनांक 20.12.2017, 676 दिनांक– 08.02.2018 एवं 1132 दिनांक– 06.03.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत शामिल तीन नई सेवाओं यथा नये राशन कार्ड का निर्गमन, राशन कार्ड में संशोधन (नाम में संशोधन / नाम जोड़ना / नाम हटाना) एवं राशन कार्ड का प्रत्यर्पन / रद्दीकरण के लिए उपर्युक्त वर्णित प्रासंगिक पत्रों के द्वारा उपर्युक्त सेवाओं हेतु नाम निर्दिष्ट लोक सेवक अनुमंडल पदाधिकारियों को समय–समय पर विस्तृत दिशा–निदेश दिया गया है ।

उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त प्रासंगिक अधिसूचना में यह वर्णित है कि प्रखंड कार्यालय के RTPS Counter पर प्राप्त आवेदनों को नाम निर्दिष्ट लोकसेवक (प्रखंड विकास पदाधिकारी) द्वारा 15 दिनों के भीतर जांचोपरांत अनुशंसा के साथ अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापित किया जाएगा । तत्पश्चात् नाम निर्दिष्ट लोकसेवक (अनुमंडल पदाधिकारी) अनुशंसा के साथ प्राप्त आवेदनों को 15 दिनों के भीतर अपेक्षानुसार सत्यापित करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मार्गदर्शी सिद्धांत के आलोक में आवेदनों का निष्पादन करते हुए नया राशन कार्ड निर्गत करेंगे । परन्तु अनुमंडलवार प्रतिवेदन से यह परिलक्षित हो रहा है कि अबतक सभी अनुमंडलों द्वारा मात्र 53676 नये राशन कार्ड ही निर्गत किया गया है (प्रतिवेदन संलग्न)। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उपुर्यक्त प्रासंगिक विभागीय पत्रों द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेश के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं किये जाने के कारण पात्र लाभुकों को ससमय राशन कार्ड निर्गत नहीं किया जा पा रहा है ।

अतः अनुरोध है कि सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत नया राशन कार्ड निर्गत करने, राशन कार्ड में संशोधन / प्रत्यर्पण एवं रद्द किये जाने हेतु लंबित आवेदनों का विधिवत निष्पादित करने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,
17/4/2018
सरकार के सचिव ।

अनु0 :– यथोक्त ।

D:\Year-2017\-SECTION- 06-\Vividh Avi.doc